जोधपुर, 20 अप्रैल।

निगम के राजस्व बढाने मे जुटे राजस्व अधिकारियों और तकनीकी अधिकारियों को निगम आयुक्त की ओर से अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए है। निगम आयुक्त शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि नगरीय विकास कर नियम 2007 के नियम 4/2 के प्रावधानानुसार किसी भुमि एवं भवन में प्रवेश, निरीक्षण, एवं नाम करने, आवश्यक जॉच, दस्तावेजों का निरीक्षण करने, बिल जारी करने व कुर्की वॉरण्टों को तामील कराने के लिए राजस्व अधिकारी, कर निर्धारिक, राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक, अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता को अधिकृत किया गया है। निगम आयुक्त ने बताया कि कर निर्धारण के लिए उक्त कार्मिक जॉच प्रयोजनार्थ सम्पति के भवन निर्माण/ भू उपयोग परिवर्तन स्वीकृति संबंधी वांछित दस्तावेजों की मॉग भी कर सकेगें वही अवैध निर्माण/भू– उपयोग परिवर्तन स्वीकृति, संबंधी सम्पित वांछित दस्तावेज की मॉग कर सकेगें साथ ही अवैध निर्माण/उपयोग परिवर्तन हेतु अलग से कार्यवही करेगें।

जोधपुर, 20 अप्रैल।

निगम के बकाया टैक्स नही चुकाने वालों के विरूद्व सख्त कार्यवाही करते हुए एक निजी कंपनी के मोबाईल कार्यालय को सीज किय साथ ही एक मोबाईल टावर को भी सीज किया गया है। निगम आयुक्त शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि ओपो मोबाईल कंपनी की ओर से विज्ञापन शुल्क जमा नही कराया गया था जिसके विरूद्व कार्यवाही करते हुए कंपनी के आखलिया चौराहा यशोदा टावर स्थित ओपो कपंनी के कार्यालय को सीज किया गया है। वही नगरनिगम क्षेत्र मे लगे बीएसएनएल के लगे मोबाईल टावरो को शुल्क जमा नही कराया गया था जिस पर गुरूवार को निगम की ओर से कार्यवाही करते हुए कपंनी के श्यामनगर स्थित राज हॉस्पीटल के उपर लगे बीएसएनएल के टावर को संबंध विच्छेद कर मोबाईल टावर को सीज करने की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान निगम राजस्व निरीक्षक रणवीर देथा, अतिक्रमण प्रभारी दीपक कन्नौजिया, जेईएन दिलीपसिंह, अनिल सियोल ओर विजेन्द्र उपस्थित रहे।

फौटोः– ओपो मोबाईल कंपनी का कार्यालय सीज एवं बीएसएनएल के टावर को सीज करते अधिकारीगण।

जसोदा टॉवर के पीछे, आखलिया चौराहा, जोधपुर
फैक्स नं. - 2750304, कस्टमर केयर : +91 869619000